

उदयपुर : जंगल की आग में घिरे मध्य प्रदेश के पर्यटक की अस्पताल में मौत

बताया गया है कि पर्यटक माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाड़ी पर घूमने गया था

उदयपुर, (कासं)। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित बड़ी झील पर बाहुबली हिल क्षेत्र में भीषण जंगल की आग में फंसे पर्यटक को सोमवार रात को रेस्क्यू किया गया था। मंगलवार सुबह उसकी एमबी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले माखन सिंह (33) के रूप में हुई है। बाहुबली हिल क्षेत्र का 3 हेक्टेयर घना जंगल अग से जलकर राख हो गया है।

बताया गया कि माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाड़ी पर घूमने चला गया। जंगल में आग में फंसे प्यथा माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर्मियों

■ **हादसे के बाद पर्यटक माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों मौके पर पहुंची तो मौके पर युवक बेहोशी की हालत में मिला**

के अनुसार युवक धुएँ के बीच झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिला। उसे तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहाँ मंगलवार सुबह करीब सात बजे उसकी मौत हो गई। माखन सिंह रतलाम जिले की जावरा तहसील के ऊपरवाडा गांव का रहने वाला था।

गांव के सरपंच कमलेश पाटीदार ने बताया कि माखन घर से घूमने के लिए ही बोलकर निकला था। वह हार्वेस्टर शोरूम में मैनेजर था। उसके तीन बच्चे हैं।

एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन ने बताया कि प्रारंभिक रूप से मौत का कारण आग के धुएँ से दम घुटना माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फायर ब्रिगेड अधिकारी बी.एल. चौधरी ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैल गई थी जिसके कारण पूरी पहाड़ी काले धुएँ से ढक गई थी।

दमकल की टीमों ने देर रात तक कड़ी मशकत के बाद आग

पर काबू पाया। हालांकि एहतियात के तौर पर रातभर फायर ब्रिगेड की टीमों जंगल क्षेत्र के आसपास तैनात रही।

जानकारी के अनुसार बाहुबली हिल्स बड़ी लेक के पास स्थित जंगल परिया है। इस पहाड़ी पर टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए आते हैं। बीते कुछ समय में ये पूरा परिया प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए भी पॉपुलर हुआ है। फरिस्ट अधिकारियों के अनुसार यहाँ के जंगल में कई दुर्लभ वनस्पति भी मिलती हैं। आग के कारण इन्हें भी नुकसान पहुंचा है।

उल्लेखनीय है कि इस सीजन में पहाड़ियों पर अब तक करीब पांच जगह आग लगी है। 15 दिन पहले नीमचमाता स्थित पहाड़ी पर आग लगी थी। सप्ताहभर पहले ऋषभदेव

की पहाड़ी पर आग लगी थी। तीन दिन पहले चित्रकूट नगर और दो दिन पहले बड़ी गांव स्थित पांडवा की पहाड़ी पर आग लगी थी।

मुख्य अतिरिक्त अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कई स्थानों पर आगजनी की घटना घटित हो रही है ऐसी आपात स्थिति में बिना संसाधन के आग में प्रवेश नहीं करें। आग लगने की सूचना तुरंत शहर प्रशासन, नजदीकी पुलिस स्टेशन, पर देवें जिससे आग को काबू में किया जा सके। आग जलने से वातावरण में चारों तरफ दम घुट गैस कार्बन डाइ ऑक्साइड बनती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है एवं जानमाल की नुकसान होने की संभावना रहती है।

ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की

पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

सादुलपुर, (निर्सं)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर महिला की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा का मामला दर्ज किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पीड़िता के पति ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी पत्नी ने 28 नवंबर 2025 को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और परिवार से मिली जानकारी के आधार पर अब मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज मामले में बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसकी पत्नी बीमार होने

पर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में कार्यरत आरोपी संदीप उसकी पत्नी को दवाई देता था, जिससे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि संदीप कुमार ने बाद में उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद संदीप कुमार के साथ रोहाशा और वीडियो भी इस मामले में शामिल हो गए। तीनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पत्नी से पैसों की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि पिछले करीब छह महीने से तीनों उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे।

दर्ज मामले में बताया कि उसकी पत्नी ने दुकान की आमदनी से नगद व खाले के माध्यम से आरोपियों को पैसे दिए। यहां तक कि उसने अपने सोने के गहने बेचकर भी करीब 7 से 8 लाख

रुपये आरोपियों को दे दिए, लेकिन इसके बाद भी वे लगातार और पैसों की मांग करते रहे। इससे उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। बताया गया कि 28 नवंबर 2025 को आरोपियों ने फोन कर दो दिन में दो लाख रुपये देने की मांग की और नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसी से भयभीत होकर उसकी पत्नी ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई। दर्ज मामले में बताया कि जांच के दौरान मोबाइल की जांच करने पर यह जानकारी मिलने पर परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेत में अज्ञात युवक का शव मिला

सादुलपुर, (निर्सं)। सिद्धमुख थाने के गांव चैनपुर छोटा की रोही में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धर्मवीर लाटर के खेत में पड़े शव को लेकर घटना की जानकारी ग्रामीणों को उस समय मिली, जब खेतों में लोग चने की फसल की कटाई कर रहे थे। शव मिलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सिद्धमुख थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि शव को राजकीय उप जिला अस्पताल राजगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं संभवतः युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। हालांकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सिद्धमुख थाना पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर

■ **युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है**

दिए हैं। वहीं मृतक के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी साझा की जा रही है ताकि मृतक की शिनाखा हो सके। इस घटना ने स्थानीय लोगों को हैरानी में डाल दिया है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि मृतक का कद 5.7 फीट, बदन दुबला तन्या, रंग सांवला, उम्र करीबन 40-45 वर्ष, सिर पर हल्के बाल हैं, हल्की काली व सफेद दाढ़ी मुंडे, सफेद रंग की शर्ट, स्लेटी रंग की इनर व काले रंग की पैट पहने हुए हैं, नंबर पेटों से है।

8500 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अन्तर्राज्यीय ठग बिहार से गिरफ्तार

आरोपी इतना शक्तिर था कि फर्जी आधार कार्ड से नाम बदलकर वारदात को अंजाम देता था

कोटा, (निर्सं)। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में 8500 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस टीम ने ठग के मास्टरमाइंड आरोपी कुमार शानू को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी इतना शक्तिर था कि फर्जी आधार कार्ड से अपना नाम बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वीन गौतम ने बताया कि 15 नवम्बर 2025 को पीड़ित कुलदीप शर्मा व अन्य ने अनंतपुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि दीपक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अनंतपुरा क्षेत्र में ओएफिस प्रोटेक्शन कंपनी खोलकर 8500 लोगों को घर बैठे रोजगार देने के नाम पर ठगी करते हुए 25000 रुपये सुरक्षा राशि के नाम से जमा की और करीब दो करोड़ रुपये की राशि हड़पकर रातों-रात दफ्तरी को बंद कर फरार हो गया। शहर एसपी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप

■ **आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज द्वारा 50 हजार के इनाम पुलिस घोषित की गई थी**

■ **आरोपी ने कोटा ही नहीं, बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था**

सैनी के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के अनंतपुरा थाने में अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में की गई। शहर एसपी ने बताया कि ठगी के आरोपी ने ठगी के दौरान पहचान छिपाने के लिये फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिये चुनौती बन गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज द्वारा 50 हजार के इनाम राशि घोषित की गई। गठित टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश भी दी।

शहर एसपी ने बताया कि आरोपी तक पहुंचने में टीम के सदस्य कॉन्स्टेबल फरसाराज की अहम भूमिका रही। कॉन्स्टेबल ने डिजिटल फुटप्रिंट और तकनीकी डेटा का गहन विश्लेषण करते हुए ठगी के आरोपी की पहचान बिहार के खगड़िया निवासी कुमार शानू के रूप में की। मामले में अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी ने कोटा ही नहीं बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। शहर एसपी ने बताया कि कॉन्स्टेबल फरसाराज द्वारा दिये गये तकनीकी इनपुट के आधार

पर अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में पुलिस टीम को बिहार खाना किया गया और टीम ने कई दिनों तक अपनी पहचान छिपाकर आरोपी की निगरानी की एवं डिजिटल सर्विसेस के जरिये प्लुटा हुआ कि ठगी का मास्टरमाइंड कुमार शानू एक होटल में छिपा हुआ है, इस पर टीम ने होटल में दबिश देकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से 1,88,500 रुपये नकद, ठगी में प्रयुक्त कार सहित कई फर्जी आधार कार्ड, ई-श्रमकार्ड बरामद किये। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड लेकर कोटा लाया गया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

शहर एसपी तेजस्वीन गौतम ने बताया कि आरोपी कुमार शानू शक्तिर और पेशेवर ठग है। अनंतपुरा क्षेत्र के सुभाष नगर में ओएफिस प्रोटेक्शन नाम से फर्जी कंपनी खोली और अखबारों में घर बैठे रोजगार के लुभावने विज्ञापन देकर बेरोजगार

युवाओं व महिलाओं को निशाना बनाता था, आरोपी फर्जी आधार कार्ड पर अपनी पहचान जाहिर करता था। आरोपी ने पुस्तकें तैयार करना का काम देने के बदले 2500 रुपये सुरक्षा राशि के नाम पर जमा करवाता, आरोपी ने ठगी की वारदात को जल्दी करने के लिये चैन मार्केटिंग का सहारा लिया और नये सदस्य जोड़ने पर 500 रुपये कमीशन का लालच दिया। आरोपी ने कुछ ही महीनों में करीब 8500 युवा व महिलाओं से करीब दो करोड़ की राशि हड़प ली और रातों-रात दफ्तरी बंद कर फरार हो गया। शहर एसपी ने बताया कि पृष्ठताछ में सामने आया कि आरोपी ने पूर्व में कई राश्यों में कहीं मोतियों की माला बनाने का काम देकर तो कहीं स्वेटर बुनने तो कहीं कुछ ओर काम देकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने दरभंगा बिहार, रांची झारखंड, सारनपुर उत्तरप्रदेश, इन्दौर मध्यप्रदेश, बीकानेर राजस्थान में भी ठगी की वारदातों की है।

अनियंत्रित ट्रैलर खाई में गिरा

उदयपुर, (कासं)। मंगलवार को उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाइवे-27 पर पत्थर के पाउडर से भरा ट्रैलर 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना स्थल से गुजर रहे लोगों में अफर-तफरी मच गई। कुछ लोग खाई के अंदर उतरे। केबिन में ट्रैलर ड्राइवर और खलासी को फंसा देखकर पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बड़ी मशकत से दोनों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार पत्थर के पाउडर से भरा ट्रैलर सुबह करीब दस बजे उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर खोखरिया नाल सुरंग के पास गहरी खाई में गिर गया। मौके से गुजर रहे वाहन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। टीम ने खाई में उतरकर केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। दोनों घायल झालावाड़ जिले के भवानीमंडी निवासी आत्माराम पुत्र प्रभुलाल और राजेश पुत्र भागचंद को एंबुलेंस के जरिए गोगुंदा हॉस्पिटल ले जाया गया।

नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

नोखा, (निर्सं)। थाने में एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में नोखा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले दो साल से एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इस दौरान दवाइयों के प्रचार-प्रसार का काम करने वाला एक युवक अक्सर अस्पताल में आता-जाता था। उसने पहचान बढ़ाई और उसे बीकानेर के किसी बड़े अस्पताल में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी ले लिए। पीड़िता ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को आरोपी उसे अपने साथ बीकानेर ले गया। वहां एक होटल में इंटरव्यू होने का बहाना बनाकर उसे नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और

जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक घायल

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेंड क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कुड़ी भगतसाही हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में शताब्दी सर्कल के पास बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां चला दीं। वारदात में युवक के कंधे में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान रामझावस निवासी अनिल साहू के रूप में हुई है, जो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के समय अनिल साहू के साथ उसका भाई मुन्ना उर्फ देवसा भी मौजूद था। हमलावर कौन थे पट्टे और पूरे शहर में सख्त नाकाबंदी किस वजह से अंजाम दिया, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि, पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश के चलते ही यह घटनाक्रम हुआ हो सकता है। इसी आशंका के आधार पर पुलिस एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को तलाश में जुटी है।

बाइक चोरी सादुलपुर, (निर्सं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित बोर्ड परीक्षा संग्रहण केंद्र के बाहर से एक शिक्षक की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि गांव रामपुरा निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। 10 मार्च को बोर्ड परीक्षा के चलते वे सुबह अपनी बाइक स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी कर अंदर परीक्षक कक्ष में बोर्ड की कॉपियों की जांच करने चले गए। शाम करीब चार बजे जब वह घर जाने के लिए बाहर आए तो उनकी बाइक मौके से गायब मिली।

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
दिनांक-26.02.2026
क्रमांक-ए.जी.एच./लेखा (अग्र)/2026/7224
ई-बोली आमंत्रण सूचना (E-NIB No. 26/2025-26)
प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर में काम करने वाले हेल्थ क्लिनिक रिजिस्ट्रर व कन्सुल्टेंट के रूप में कार्य करने वाले (सीडी प्रवर्ग) में हेल्थकेयर सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण बातें व पूर्ण विवरण 'http://eproc.raajasthan.gov.in' तथा 'http://sppp.raajasthan.gov.in' पर देखी जा सकती है। ई-बोली की अनुमति प्राप्त 100 लाख है।
UBN No. MCB2526GRC00334
चिकित्सा अधीक्षक
प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर

DIPRC/4833/2026
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त बांसवाडा
सिन्धुसेन मिल के पास, दाहोद नं. 327001
दूरभाष- 02962-294907, ई-मेल-secircle.ban.phed@rajasthan.gov.in
निविदा सूचना संख्या 27/2025-26
जन.स्वा.अभि. विभाग, वृत्त बांसवाडा के अधीन निम्नित पेयजल योजनाएं का कार्य हेतु आपूर्ति हेतु निविदा हेतु इच्छुक पात्र बिडर्स निविदा संख्या 27/2025-26 दिनांक 28.02.2026 सायं 06 बजे से 13.03.2026 सायं 06 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिडर्स से सम्बंधित समस्त जानकारी www.sppp.raj.nic.in, https://eproc.raajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती है।
NIB CODE- PHE2526A7016
NIT No. 27/2025-26
UBN No. PHE2526WSRC15133
(जालेन्द्र कुमार शाणू)
अधीक्षण अभियन्ता
जन.स्वा.अभि. विभाग
वृत्त बांसवाडा

DIPRC/4852/2026
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
क्रमांक-6754-6773
दिनांक-27.02.2026
निविदा सूचना संख्या- 176-187/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निर्भरित कार्य हेतु नियमानुसार उद्घुक्त श्रेणी में इस विभाग में ई-वीडियुक्त प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाइट 'http://www.eproc.raajasthan.gov.in' से दिनांक 12.03.2026 तक को सायं 6.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट पर तकनीकी विवरण 13.03.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त 11.00 बजे खोली जाएगी। उक्तखान सक्कर वित्त (की एच टी) विभाग के परिषद क्रमांक प. 65/5/प्रि/सावि/लेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार इंडोप्रोपर्टी डेव्लपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट के लिए एक ही खान में बोली दस्तावेज मूल्य (Tender Fee) बिड रिजकार्टि (EMD) एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई-प्रायस सिस्टम के माध्यम से जमा करवाना आवश्यक है।
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाइट 'http://www.eproc.raajasthan.gov.in' तथा 'www.dipronline.org' पर देखे जा सकते हैं।
NIT no. 176-UBN-PHE2526WSRC15092, NIT no. 177-UBN-PHE2526WSRC15094, NIT no. 179-UBN-PHE2526WSRC15095, NIT no. 178-UBN-PHE2526WSRC15096, NIT no. 179-UBN-PHE2526WSRC15099, NIT no. 180-UBN-PHE2526WSRC15100, NIT no. 181-UBN-PHE2526WSRC15101, NIT no. 182-UBN-PHE2526WSRC15102, NIT no. 183-UBN-PHE2526WSRC15103, NIT no. 184-UBN-PHE2526WSRC15106, NIT no. 185-UBN-PHE2526WSRC15107, NIT no. 186-UBN-PHE2526WSRC15108, NIT no. 187-UBN-PHE2526WSRC15109

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2221802
DIPRC/4801/2026

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B)(After Policy-2026-27)/EXA/2026-06481-9018219/748
दिनांक-10.03.2026
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार को आज्ञा क्रमांक प. 4/1(विस्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संचयन नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्राधानानुसार नीतीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-बोली में लिये विभागीय वेबसाइट 'https://iems.raajasthan.gov.in' पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है-
क्र. सं. नीलामी की दिनांक नीलामी का समय
1. 16.03.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट 'https://iems.raajasthan.gov.in' से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल 'https://SSO.raajasthan.gov.in' पर 'Citizen' केवरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्तर्विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के ग्युआंक में बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आदेवन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट 'https://iems.raajasthan.gov.in' पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का जयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि धर्याभरने नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक 'https://iems.raajasthan.gov.in' वेबसाइट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भूतलाप द्वारा द्वि वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भूतलाप नहीं होने या अन्याय तकनीकी कारणों से निर्धारित राशिओं जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाये के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आदेवन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागी वेबसाइट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशिओं यथा-धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जनराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमश 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञा पत्र नीवीनीकरण का अवरसिद्ध दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट 'https://iems.raajasthan.gov.in' पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 व अन्तर्गत दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश 'https://iems.raajasthan.gov.in' पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत नये नियमों के अनुरूप रहेंगे।

DIPRC/5187/2026
आबकारी आयुक्त, राज.
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-जालोर
Tel: 02973-22272
क्रमांक-खण्ड/जालोर/निविदा/ 2025-26/
E-mail: ee.jal.phed@rajasthan.gov.in, xen_jal@yahoo.com
दिनांक-
बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 100/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निर्भरित कार्य हेतु निम्नित निम्नित के चर्च-4 नियम 334 (D) (ब) के तहत रु. 150.00 लाख तक की निविदाओं हेतु इच्छुक पात्र बिडर्स निविदा संख्या 100/2025-26 दिनांक 27.02.2026 सायं 06 बजे से 13.03.2026 सायं 06 बजे तक आमंत्रित किया जा रहा है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण बातें व पूर्ण विवरण 'http://eproc.raajasthan.gov.in' तथा 'http://sppp.raajasthan.gov.in' पर देखी जा सकती है।
बिड संख्या NIB NO. PHE2526A6946 अनुमति प्राप्त (लाखों में) धरोहर पत्र 2 अतिरिक्त बिड शुल्क (रुपये) ई-प्रक्रिया शुल्क कार्य पूर्ण करने की अवधि
100/2025-26 UBN NO. PHE2526WSRC15194 35.00 70000 1000 1000 6 माह
ऑनलाईन बिड उपलब्ध होने की तिथि 05.03.2026
ऑनलाईन बिड डाउनलोड/अपलोड करने की अंतिम तिथि 19.03.2026 को 6.00 पी.एम.
ऑनलाईन-बिड खोलने की तिथि 20.03.2026 को 02.00 ए.एम.
बिड से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट 'www.dipronline.org sppp.raj.nic.in' व 'www.eproc.raajasthan.gov.in' पर देखा जा सकता है।
(राजकुमार कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
खण्ड-जालोर
DIPRC/4923/2026